Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **कोटा में जे.के.लोन चिकित्सालय का अधीक्षक 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अगस्त, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. हीरालाल मीणा अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, कोटा को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की फर्म द्वारा जे.के. लोन चिकित्सालय कोटा में करवाये गये कार्यों के बकाया 30 लाख रुपये के बिलों को पास करने की एवज में डॉ. हीरालाल मीणा अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, कोटा द्वारा **1 लाख 70 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्वत** के सुपरवीजन एसीबी कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अजीत बगड़ोलिया** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. हीरालाल मीणा पुत्र श्री सांवल राम मीणा निवासी बास बदनपुरा, गंगापोल गेट के बाहर, राजकीय सी.सै.स्कूल के सामने, पुलिस थाना गलतागेट, जयपुर हाल अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, कोटा को परिवादी से 50 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।